

अध्याय II: लेखाकारों के प्रमाणीकरण का मूल्यांकन

2.1 प्रस्तावना

कुछ निर्धारितियों⁷ को अपने लेखों का आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 44एबी के अंतर्गत सीए द्वारा लेखापरीक्षण करवाना और आयकर नियमावली, 1962 (नियमावली) के नियम 6जी में निर्धारित फॉर्म में रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। सीए (कर लेखापरीक्षक भी) फॉर्म 3सीए या 3सीबी और 3सीडी में कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट (टीएआर) प्रस्तुत करता है। टीएआर में सीए को विभिन्न जानकारी/विवरण देने होते हैं। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती को निर्धारित फॉर्मों में सीए से प्रमाणपत्र प्राप्त करना और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न कटौतियों/छूटों का दावा करने के लिये एओ को प्रस्तुत करना होता है। यह सभी रिपोर्ट/प्रमाणपत्र निर्धारण कार्यवाही के दौरान लेखों की विस्तृत संवीक्षा में एओ के लिये सहायक होते हैं। इसलिये, यह आवश्यक है कि (क) निर्धारण के समय एओ सभी आवश्यक रिपोर्ट/प्रमाणपत्र प्राप्त करे और (ख) सीए सही रिपोर्ट/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे।

जनवरी 1999 में जारी सीबीडीटी के निर्देश संख्या 1959 में प्रावधान है कि ऐसे मामले जहां टीएआर में दी गई जानकारी अपूर्ण या कपटपूर्ण है, सीआईटी द्वारा यह देखने के लिये कि क्या यह टीएआर हस्ताक्षर करने वाले लेखाकार की तरफ से कोई व्यावसायिक लापरवाही दिखाता है, उठाने चाहिए जिन पर अधिनियम की धारा 288 के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

अधिनियम की धारा 288 में प्रावधान है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो विधिक पेशेवर या लेखाकार है, उसके प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी व्यावसायिक क्षमता में कदाचार का दोषी पाया जाता है, उस प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश आयकर प्राधिकारी के समक्ष पेश होने के अधिकार के संबंध में उसी प्रकार प्रभावी होगा जैसाकि इसका संबंध उसके विधिक पेशेवर या लेखाकार के रूप में कार्य करने से होगा, जैसा भी मामला हो।

⁷ कॉरपोरेट, फर्म, एसोशिएसन ऑफ पर्सनस, बॉडी ऑफ इन्डियज़ अल्स, चेरिटेबल ट्रस्ट और संस्थान आदि।

मामले जहां लेखाकार की रिपोर्ट में अपर्याप्त/गलत जानकारी प्रस्तुत की जाती है और एओ द्वारा या लेखापरीक्षा के अनुरोध पर परिवर्धन किया जाता है, इस तथ्य को लेखाकार जिसने टीएआर में अपर्याप्त/गलत जानकारी प्रमाणित की है, के प्रति कार्यवाही करने के लिये आईसीएआई के ध्यान में लाने चाहिये।

एक कोर्ट केस⁸ में, यह निर्धारित हुआ है कि न केवल ‘घोर लापरवाही’ बल्कि ‘यथोचित सतर्कता’ सीए के मामले में ‘व्यावसायिक कदाचार’ मापने और निर्धारण करने में समान रूप से उचित और महत्वपूर्ण मापदंड है। इस प्रकार, सीए को दण्डित किया जा सकता है अगर वह यथोचित सतर्कता का प्रयोग नहीं करता और आईसीएआई के लिये यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि लेखाकार की तरफ से लापरवाही थी।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, हमारे समक्ष कुछ मामले आये:

- क. जहां सीए पूर्ण और सही जानकारी देने में विफल रहे।
- ख. जहां एओ उन्हें प्रस्तुत रिपोर्ट/प्रमाणपत्रों में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने में विफल रहे।

उपरोक्त मामलों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष की क्रमशः खण्ड क और खण्ड ख में चर्चा की गई है।

8 सीए राजेश बनाम अनुशासनात्मक समिति, गुजरात उच्च न्यायालय [2012] 28 taxmann.com 100 (गुजरात)

खण्ड क

मामले जहां सीए पूर्ण और सही जानकारी देने में विफल रहे

2.2 प्रस्तुत खण्ड उन मामलों से संबंधित है जहां सीए ने एओ को गलत/अधूरी जानकारी प्रतिवेदित की। हमे 367 मामले मिले जिनमें ₹ 2,813.11 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था जहां सीए ने या तो अपने टीएआर में या विभिन्न प्रमाणपत्रों में गलतियां की थीं (तालिका 2.1 देखें)।

तालिका 2.1: कर प्रभाव के साथ श्रेणीवार मामले

श्रेणियां	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
क. मूल्यहास और परिशोधन की अनुमति	66	457.79
ख. अग्रानीत हानियों/मूल्यहास की अनुमति	46	557.79
ग. व्यक्तिगत/पूंजीगत व्यय की अनुमति	42	477.89
घ. दावों का गलत प्रमाणीकरण	74	259.72
ड. टीएआर/प्रमाणपत्रों में गलत/अधूरी जानकारी	132	1,037.61
च. प्रावधानों की अनियमित अनुमति	7	22.31
कुल	367	2,813.11

तालिका 2.2 ऐसे मामले दर्शाती हैं जहां सीए ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन में गलतियां की।

तालिका 2.2: श्रेणीवार सीए द्वारा की गई गलतियां

श्रेणी	मामले
क. छूट/कटौतियों की अनुमति	128
ख. धारा 115 जेबी के अंतर्गत बुक प्राफिट पर कर प्रभाव	27
ग. आर्मलैंगथ कीमत को न अपनाना	153
घ. ₹ 20,000 प्रतिदिन से अधिक नकद भुगतान पर सीए द्वारा रिपोर्टिंग	308
कुल	616

तालिका 2.3: मामले जहां निर्धारितियों ने अपेक्षित फॉर्म/प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए

फॉर्म/प्रमाणपत्र	मामले
क. एएलपी के सत्यापन पर फॉर्म 3सीईबी को प्रस्तुत न करना	43
ख. बुक प्राफिट के प्रमाणीकरण पर फॉर्म 29बी को प्रस्तुत न करना	66
कुल	109

कर लेखापरीक्षकों ने फॉर्म 3सीडी में मूल्यहास और परिशोधन पर गलत जानकारी प्रस्तुत की जिससे कर की कम उगाही हुई।

2.3 मूल्यहास और परिशोधन की अनुमति

एक निर्धारिती की व्यवसायिक आय की गणना करने में बिल्डिंग, संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर; फिक्चर्स आदि जैसी निर्धारित परिसंपत्तियों की लागत या अवलेखित मूल्य पर मूल्यहास की कटौतियां अधिनियम की धारा 32 में निहित प्रावधानों के अनुसार और नियमों में निर्धारित दरों पर देय है बशर्ते परिसंपत्तियां निर्धारिति के स्वामित्व में हों और पूर्व वर्ष के दौरान व्यवसाय के उद्देश्य के लिये प्रयोग की गई हों।

अधिनियम की धारा 32(1)(iiए) के अंतर्गत, अतिरिक्त मूल्यहास 31 मार्च 2005 के बाद अधिग्रहित और स्थापित संयंत्र और मशीनरी के वास्तविक मूल्य पर 20 प्रतिशत की दर से उपलब्ध था। यदि परिसंपत्ति अधिग्रहण किये गये वर्ष में 180 दिनों से कम प्रयोग की गई है, तो मूल्यहास की दर धारा 32(1)(ii)(बी) के प्रावधान के अनुसार आधे तक सीमित की जायेगी।

कोई भी व्यय, पूँजीगत व्यय की प्रकृति का होने पर, दूरसंचार सेवाओं के संचालन के लिये कोई भी अधिकार प्राप्त करने के लिये किया गया हो और जिसका लाइसेंस प्राप्त करने के लिये वास्तविक रूप से भुगतान किया गया है, अधिनियम की धारा 35 एबीबी के अनुसार लाइसेंस की अवधि में परिशोधित होगा।

अधिनियम के अनुसार अनुमेय मूल्यहास का विवरण और परिशोधन की राशि फॉर्म 3सीडी में टीएआर को खण्ड 14 और 15 में कर लेखापरीक्षक द्वारा बताया जाना आवश्यक है।

हमने पाया कि कर लेखापरीक्षक ₹ 457.79 करोड़ के कर की कम उगाही से जुड़े 66 मामलों में सही जानकारी देने में विफल रहे (बॉक्स 2.1 देखें)।

बॉक्स 2.1: मूल्यहास की अनुमति पर निर्दर्शी मामले

क. प्रभार: सीआईटी 1, मुंबई

निर्धारिती: गन्नोन डंकरली एंड कंपनी लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2010-11

कर लेखापरीक्षक: सांघवी एंड कंपनी, मनोज गनात्रा (सदस्य संख्या: 043485)

द्वारा हस्ताक्षरित

निर्धारिती ने टीएआर के आधार पर संयंत्र और मशीनरी पर ₹ 11.39 करोड़ के अतिरिक्त मूल्यहास का दावा किया जो एओ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि निर्माण कार्य को उत्पादन कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता।

ख. प्रभार: सीआईटी 3, मुंबई

निर्धारिती: आईडिया सेल्युलर लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2011-12

कर लेखापरीक्षक: सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स, भागीदार निर्मल जैन

(सदस्य संख्या: 34709) द्वारा हस्ताक्षरित

निर्धारिती ने छ: सर्कल जिनका पूर्व वर्ष के दौरान संचालन शुरू किया गया था, के लिये 3जी स्पेक्ट्रम बैंड शुल्क के रूप में ₹ 3,366.09 करोड़ की राशि का भुगतान किया और अमूर्त परिसम्पत्ति की श्रेणी के अंतर्गत ₹ 420.76 करोड़ के मूल्यहास का दावा किया जो टीएआर में भी प्रमाणित था। 3जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस फीस लाइसेंस की अवधि में परिशोधन के लिये पात्र थी अर्थात् मूल्यहास के बजाय 20 वर्षों में। कर लेखापरीक्षक द्वारा गलत प्रमाणीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 336.61 करोड़ की आय का कम आकलन हुआ और परिणामस्वरूप ₹ 111.81 करोड़ की कम उगाही हुई।

ग. प्रभार: सीआईटी सेन्ट्रल 1, कोलकाता

निर्धारिती: बिनानी सीमेंट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2008-09, 2009-10 और 2010-11

कर लेखापरीक्षक: (i) वी.बी. दोषी एंड कंपनी, निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिये विजय बी. दोषी द्वारा हस्ताक्षरित (सदस्य संख्या: 37024)
(ii) कानू दोषी एसोसिएट्स, निर्धारण वर्ष 2009-10 और निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिये आरती परमार द्वारा हस्ताक्षरित (सदस्य संख्या: 102888)

निर्धारिती ने कुछ नये संयंत्र और मशीनरी का अधिग्रहण किया जो वर्ष के उत्तरार्द्ध में इस्तेमाल में लाये गये अर्थात् वर्ष में 180 दिनों से कम के लिये। तदनुसार संबंधित वित्तीय वर्ष में जिसमें संयंत्र और मशीनरी का अधिग्रहण किया गया था, लागू दर के आधे पर अर्थात् परिसंपत्ति के मूल्य के 10 प्रतिशत दर पर, अतिरिक्त मूल्यहास का दावा किया गया। तथापि, आगामी निर्धारण वर्ष में, निर्धारिती ने फिर से 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त मूल्यहास का दावा किया जिसको कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी दिखाया गया था। इसे निर्धारण वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिये क्रमशः ₹ 3.18 करोड़, ₹ 19.86 करोड़ और ₹ 2.62 करोड़ (कुल ₹ 25.66 करोड़) की राशि के लिये अनुमति किया गया। यह अनुमति अनियमित थी क्योंकि अतिरिक्त मूल्यहास केवल शुरुआती वर्ष में अनुमति है। इस अनियमित अनुमति से ₹ 8.72 करोड़ का संभावित कर प्रभाव हुआ।

घ. प्रभार: सीआईटी 2 कानपुर

निर्धारिती: कॉमर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स कंपनी लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2011-12

कर लेखापरीक्षक: जी.एल. जैन (सदस्य संख्या: 075079)

निर्धारिती जो वाहनों के ढांचा निर्माण और किराये पर वाहन चलाने के व्यापार से जुड़ा था, ने मार्च 2012 में ₹ 12.02 करोड़ के मूल्य पर रेफिजरेटेड वैन खरीदी और उसे संयंत्र और मशीनरी के रूप में मान कर ₹ 1.20 करोड़ (10 प्रतिशत की दर पर) के अतिरिक्त मूल्यहास का दावा किया। इस अतिरिक्त दावे को कर लेखापरीक्षक द्वारा अपने टीएआर में प्रमाणित और प्रतिवेदित किया गया था। अतिरिक्त दावे के लिये निर्धारिती का दावा एओ द्वारा अनुमति कर दिया गया। क्योंकि रेफिजरेटेड वैन रोड यातायात वाहन है और किसी भी सामान या चीज़ के निर्माण या उत्पादन में शामिल नहीं है अतः कोई भी अतिरिक्त मूल्यहास धारा 32(1)(iiए) के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं था। ₹ 1.20 करोड़ के अतिरिक्त मूल्यहास की अनुमति में अनियमितता के परिणामस्वरूप ₹ 39.94 लाख का कर कम प्रभारित हुआ।

कर लेखापरीक्षकों ने फॉर्म 3सीडी में अग्रानीत हानि/मूल्यहास से संबंधित गलत जानकारी प्रस्तुत की जिससे कर की कम उगाही हुई।

2.4 अग्रानीत हानि/मूल्यहास की अनुमति

अधिनियम के अनुसार, अनावशोषित मूल्यहास आगामी वर्षों में अग्रेनीत किया जायेगा और उस वर्ष के लिये व्यापार या व्यावसाय से लाभ और मुनाफे के प्रति समंजन किया जायेगा।

अधिनियम की धारा 72 में प्रावधान है कि जहां 'व्यापार या व्यावसाय में लाभ और मुनाफा' शीर्ष के अंतर्गत गणना का सकल परिणाम निर्धारिती का नुकसान हो और मूल्यहास सहित ऐसी हानि संबंधित वर्ष के किसी दूसरे शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति पूर्ण रूप से समंजित नहीं हो सकती, इतना नुकसान, जितना समंजित न हो सके आगामी निर्धारण वर्ष/वर्षों में 'व्यापार या व्यवसाय के लाभ और मुनाफे' के प्रति अग्रेनीत किया जायेगा बशर्ते कि कोई भी नुकसान आठ वर्ष से अधिक के लिये अग्रेनीत नहीं किया जायेगा।

कर लेखापरीक्षकों को टीएआर के खण्ड 25 में उपलब्ध सीमा तक अग्रानीत हानि/मूल्यहास का विवरण बताना आवश्यक है।

हमने देखा कि कर लेखापरीक्षकों ने अग्रानीत हानि/मूल्यहास के संबंध में सही जानकारी नहीं दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 557.79 करोड़ की कम उगाही से जुड़े 46 मामलों में अनियमित अग्रानीत हानि/मूल्यहास अनुमत हुआ (बॉक्स 2.2 देखें)।

बॉक्स 2.2: अग्रानीत हानि/मूल्यहास की अनुमति पर निर्दर्शी मामले

क. प्रभार: सीआईटी 8, मुंबई

निर्धारिती: एसकेओएल ब्रेवरीज़ लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2008-09

कर लेखापरीक्षक: बीएसआर एण्ड कम्पनी भागीदार जुबीन शेकरी द्वारा
हस्ताक्षरित (सदस्य संख्या: 48814)

लेखापरीक्षक ने 1987 से 2008 की अवधि के लिये ₹ 168.07 करोड़ की राशि अनवशोषित मूल्यहास के रूप में दिखाई। जबकि निर्धारिती ने 2002 से 2008 की अवधि के लिये अपने रिटर्न में ₹ 168.08 करोड़ की व्यापार हानि/अनवशोषित मूल्यहास का दावा किया। यदि टीएआर में दिये गये 2002-2008 की अवधि के लिये अनवशोषित मूल्यहास को जोड़ें तो वह केवल ₹ 140.81 करोड़ होगा। तथापि, एओ ने, अंततः निर्धारण वर्ष 2006-07 में 51 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण पद्धति में बदलाव को ध्यान में रखने के बाद जो निर्धारिती को पूर्व वर्षों की व्यापार हानि को आगे ले जाने के लिये हकदार नहीं बनाता, निर्धारण वर्ष 2004-05 के बाद के निर्धारण

आदेशों की समीक्षा के बाद ₹ 22.55 करोड़ के अनवशोषित मूल्यहास और व्यापार हानि को स्वीकार किया।

ख. प्रभार: सीआईटी 7, मुंबई

निर्धारिती: ट्रांसेक्शनल डॉक्यूमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2008-09

कर लेखापरीक्षक: सुशील बुधिया एसोसिएट्स भागीदार ऊषा गोपालन द्वारा हस्ताक्षरित (सदस्य संख्या: 45720)

लेखापरीक्षक ने टीएआर में निर्धारिती द्वारा अग्रेनीत हानियों को 'शून्य' के रूप में दर्शाया। तथापि, निर्धारिती ने आयकर रिटर्न में ₹ 3.12 करोड़ की अग्रानीत हानि का दावा किया। 2004-05 से आगे के रिकॉर्डों के सत्यापन ने दर्शाया कि अग्रानीत हानि केवल ₹ 1.16 करोड़ थी। यह दर्शाता है कि कर लेखापरीक्षक ने अग्रानीत हानि के बारे में सही जानकारी प्रतिवेदित नहीं की।

ग. प्रभार: सीआईटी-VI, दिल्ली

निर्धारिती: टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2010-11

कर लेखापरीक्षक: एस. मुखर्जी (सदस्य संख्या: 57084)

रेडियो टुडे ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड का रेडियो ब्रॉडकास्टिंग व्यापार निर्धारिती कंपनी को हस्तांतरित हुआ था। निर्धारिती कंपनी ने अधिनियम की धारा 72ए के अंतर्गत रेडियो टुडे ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के ₹ 48.49 करोड़ की अग्रानीत अनवशोषित हानि का मानित हानि के रूप में दावा किया। यह अग्रानीत हानि भी टीएआर में प्रतिवेदित की गई थी। यह हानि अनुमत नहीं थी क्योंकि धारा 72ए द्वारा लगाई गई शर्तें पूरी नहीं की गई थीं क्योंकि रेडियो टुडे ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और ट्रेडिंग व्यापार के व्यवसाय से जुड़ी थी, जो औद्योगिक गतिविधि नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.93 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 48.49 करोड़ की हानि का गलत समंजन हुआ।

घ. प्रभार: सीआईटी-I, दिल्ली

निर्धारिती: सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2011-12

कर लेखापरीक्षक: संदीप गर्ग (सदस्य संख्या: 75312)

टीएआर में दिये गये विवरण के अनुसार निर्धारिती को ₹ 880.43 करोड़ की उपलब्ध अनवशोषित व्यापार हानि थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि इन आंकड़ों में 2002-03 (अर्थात आठ वर्ष से अधिक) से पहले के भी निर्धारण वर्षों की ₹ 791.33 करोड़ की व्यापार हानि शामिल थी, जो धारा 72 के अंतर्गत समंजित करने के लिये उपलब्ध नहीं थी। टीएआर में कर लेखापरीक्षक द्वारा गलत प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप ₹ 244.52 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाली अनवशोषित व्यापार हानि का अनुचित दावा हुआ।

ड. प्रभार: सीआईटी, बरेली

निर्धारिती: किसान सहकारी चीनी मिल, सेमीखेड़ा

निर्धारण वर्ष: 2010-11

कर लेखापरीक्षक: कृष्ण कुमार अग्रवाल (सदस्य संख्या: 071030)

कर लेखापरीक्षा द्वारा टीएआर में नि. व. 2003-04 के लिए ₹ 9.91 करोड़ की अगेनीत हानि ₹ 10.48 करोड़ बताई गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.52 लाख के संभावित कर प्रभाव वाला ₹ 56.70 लाख का अधिक दावा हुआ।

च. प्रभार: सीआईटी III, हैदराबाद

निर्धारिती: साई लाईफ साईसेंज लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2011-12

कर लेखापरीक्षक: मैसर्ज शिवा कृष्णा एण्ड नारायण भागीदार आर. वी. एन शास्त्री द्वारा हस्ताक्षरित (सदस्य सं. 206635)

टीएआर में सनदी लेखाकार की रिपोर्ट के आधार पर ₹ 18.85 करोड़ की कुल अगेनीत कारोबार हानि का समंजन अनुमत किया गया था। पिछले सालों के निर्धारण वर्षों के रिकार्ड का सत्यापन पर ज्ञात हुआ कि समंजन हेतू उपलब्ध कुल कारोबार हानि नि. व. 2011-12 के दौरान केवल ₹ 14.63 करोड़ थी। अतिरिक्त ₹ 4.22 करोड़ की हानियों के समंजन की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1.73 करोड़ का अधिक मैट क्रेडिट अनुमत हुआ।

कर लेखापरीक्षकों ने व्यक्तिगत/पूँजीगत व्यय पर गलत/अस्वीकार्य सूचना प्रस्तुत की जिसके कारण निर्धारितियों को अनुचित कटौतियाँ हुई जिसके परिणाम स्वरूप करों का कम उद्ग्रहण हुआ।

2.5 व्यक्तिगत/पूँजीगत व्यय की अनुमति

अधिनियम के अनुसार, पूर्णतः अथवा विशेष रूप से कारोबार के उद्देश्य से किया गया जो पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति का ना हो, 'कारोबार अथवा व्यवसाय से लाभ तथा आय' शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञेय है। न्यायिक रूप से यह निर्धारित किया जा चुका है कि उत्पादन की शुरुआत होने के स्तर तक ब्याज देयता को पूँजीकृत⁹ कर देना चाहिए। न्यायिक रूप से यह भी निर्णित हो चुका है कि उपयोग में लाने से पहले प्रौद्योगिकी को छोड़ दिये जाने पर वहन की गई लागत के कारण हानि एक अनुज्ञेय कटौती नहीं है क्योंकि यह पूँजीगत व्यय¹⁰ की प्रवृत्ति में है; तथा कारोबार की शुरुआत से पहले किया गया व्यय धारा 37(1)¹¹ के अन्तर्गत राजस्व व्यय नहीं है।

कर लेखापरीक्षकों को लाभ तथा हानि खाते में पूँजीगत व्यय की डेबिट की गई राशि को कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट 3सीडी के खण्ड 17(ए) तथा (बी) में विवरण देना अपेक्षित है।

हमारी जाँच से पता चला कि 42 मामलों में व्यक्तिगत/पूँजीगत व्यय गलत रूप से अनुमत किया गया था क्योंकि कर लेखापरीक्षकों ने अपनी कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में राशि नहीं बताई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 477.89 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ(बॉक्स 2.3 देखें)।

⁹ मै. चल्लापल्ली शुगर्स लिमिटेड बनाम सीआईटी (1975) 98 आईटीआर 16 (एससी)

¹⁰ मै. कनोरिया केमिकल्ज एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीआईटी (1995) 78 टैक्समैन 455 (कोलकाता उच्च न्यायालय)

¹¹ सीआईटी बनाम मोहन स्टील लिमिटेड (2004) 191 सीटीआर (आल) 279

बॉक्स: 2.3: व्यक्तिगत/पूँजीगत व्यय की अनियमित अनुमति पर निर्दर्शी मामले

क. प्रभार: सीआईटी II, चेन्नै

निर्धारिती: इन्नौर पोर्ट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2011-12

कर लेखापरीक्षक: ई: प्रकाश (सदस्य सं. 019388)

अचल सम्पत्ति की बिक्री पर हुई ₹ 9.92 करोड़ की हानि गलत रूप से लाभ एंव हानि खाते को डेबिट की गई थी। कर लेखापरीक्षक इसे रिपोर्ट करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.29 करोड़ का कर कम निर्धारण हुआ।

ख. प्रभार: सीआईटी 2 बडौदा;

निर्धारिती: नेशनल डेयरी डेवलपमेन्ट बोर्ड

निर्धारण वर्ष: 2009-10

कर लेखापरीक्षक: अनिल कार्निक (सदस्य सं. 031005)

निर्धारिती ने नि. व. 2009-10 के दौरान सरकारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों में डिबेन्चर/बॉण्ड की खरीद पर ₹ 3.16 करोड़ के प्रीमियम का भुगतान किया। यह राशि आय तथा व्यय लेखा को प्रभारित की गई थी। चूँकि निर्धारिती एसएलआर के रूप में अथवा 'हेल्ड टिल मेच्यूरिटी' (एचटीएम) के रूप में सरकारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों के ऐसे डिबेन्चर/बॉण्ड में निवेश हेतु आरबीआई द्वारा आदेशित एक बैंक अथवा वित्तीय संस्थान नहीं था, इसलिए निवेश की लागत के साथ प्रीमियम को पूँजीकृत किया जाना अपेक्षित था। कर लेखापरीक्षक इसे कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सूचित करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.42 करोड़ का कम उदग्रहण हुआ।

लेखाकारों ने गलत सूचना दी जिसके परिणामस्वरूप फार्म 3सीईए/10बी/56एफ/56जी में अधिक छूट अनुमत हुई जिसके परिणामस्वरूप करों का कम उदग्रहण हुआ।

2.6 छूट/कटौतियों की अनुमति

अधिनियम की धारा 10ए/10बी में 01 अप्रैल 2001 से एक नए स्थापित उपक्रम द्वारा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र में अथवा एक नये स्थापित सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रम द्वारा वस्तुओं अथवा चीजों अथवा कम्प्यूटर साफ्टेवयर के निर्यात से प्राप्त किये गए ऐसे लाभ एवं मुनाफों की पहले वर्ष, जिसमें उपक्रम ने निर्माण अथवा उत्पादन प्रारंभ किया हो, से सुसंगत निर्धारण वर्ष के साथ शुरू होने वाले लगातार दस निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए एक कटौती का प्रावधान करती है। इस कटौती का दावा करने के लिए निर्धारिती के लिए आइटीआर के साथ फार्म 56 एफ/56 जी में एक लेखाकार से दावों को प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

धर्मार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए न्यास के अन्तर्गत धारित सम्पत्ति से व्युत्पन्न आय, भारत में ऐसे उद्देश्यों पर लगाई गई ऐसी आय की सीमा तक तथा जब ऐसी कोई आय भारत में ऐसे उद्देश्यों पर लगाने के लिए ऐसी सम्पत्ति से आय के 15 प्रतिशत तक संचित की जाती है एवं अलग रखी गई है, तो कतिपय शर्तों के अधीन अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत आय कर से छूट प्राप्त है। इस छूट का दावा करने के लिए एक लेखाकार से फार्म 10बी में एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अधिनियम की धारा 12 ए(बी) के अन्तर्गत प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी।

सलम्प बिक्री से उत्पन्न होने वाला कोई लाभ एवं आय धारा 50बी के अन्तर्गत दीर्घावधि-पूँजीगत लाभ के रूप में आय कर हेतु प्रभार्य थे। सलम्प बिक्री के मामले में निर्धारिती को एक निर्धारित प्रारूप में (फार्म 3 सीईए) जिसमें उपक्रम की निवल सम्पत्ति की संगणना तथा यह प्रमाणित करते हुए कि उपक्रम की निवल सम्पत्ति की धारा 50बी में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सही रूप से गणना की गई है, को दर्शाते हुए सीए की एक रिपोर्ट में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

हमारी लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 128 मामलों में जहाँ लेखाकार फार्म 3सीईए/10बी/56एफ/56जी में छूट के बारे में सही सूचना देने में विफल हुए तथा ₹ 9,478.45 करोड़ की अधिक छूट को प्रमाणित किया (बॉक्स 2.4 देखें)

बॉक्स 2.4: छूटों/कटौतियों के अनुमोदन में अनियमितता पर निर्दर्शी मामले

क. प्रभार: सीआईटी 10, मुम्बई

निर्धारिती: आरेकल फाईनेनशयल सर्विसेज साफ्टेवयर लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2009-10

सनदी लेखाकार: विजय वी. राजवाडे (सदस्य सं. 46344)

सीए ने धारा 10ए के अन्तर्गत फार्म 56एफ में ₹ 674.40 करोड़ की कटौती प्रमाणित की। अभिलेखों के सत्यापन के बाद आईटीडी ने पाया कि दावों की संगणना सही नहीं थी क्योंकि निर्धारिती ने (i) दो इकाईयों की हानियों का समंजन नहीं किया था जिनमें इसने पिछले वर्षों में 10ए कटौती का दावा किया था, (ii) उगाही न किए गए विदेशी मुद्रा को शामिल किया था तथा (iii) 10ए छूट की संगणना के लिए निर्यात टर्न ओवर में विदेशी मुद्रा में किये गए व्यय को शामिल किया था। आईटीडी ने धारा 10ए के अन्तर्गत ₹ 615.71 करोड़ की कटौती की गणना की।

ख. प्रभार: डीआईटी (छूट), मुम्बई

निर्धारिती: दि सिन्थेटिक एण्ड रेयान टेक्सटाईल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल,

निर्धारण वर्ष: 2009-10

सनदी लेखाकार: एन. पी. झावेरी एण्ड ऐसोसिएट्स (सदस्य सं. 33851)

लेखाकार ने फार्म 10बी में प्रमाण पत्र में प्रमाणित किया कि निर्धारिती ने वर्ष के दौरान भारत में धर्मार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्य के लिए ₹ 3.56 करोड़ लगाए थे। संवीक्षा निर्धारण में एओ ने ₹ 91.86 लाख की राशि अस्वीकृत की थी जो भारत से बाहर निर्यात के प्रोत्साहन के लिए विदेशी मुद्रा में व्यय की गई थी। धारा 11 के प्रावधान स्पष्ट रूप से भारत से बाहर किये गए व्यय को (जब तक यह (धारा 11(1)(सी) के तहत अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण प्रोत्साहन के लिए ना हो) आय के प्रयोग के रूप में विचार किये जाने को अनुमत नहीं करती।

ग. प्रभार: सीआईटी-1 कोच्ची

निर्धारिती: नेस्ट पावर इलैक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2010-11

सनदी लेखाकार: सन्नी सेबेस्टियन (सदस्य सं. 023198)

अधिनियम की धारा 10ए के अन्तर्गत ₹ 2.63 करोड़ की कटौती के लिए एक दावा अनुमत किया गया था। फार्म 56 एफ में प्रस्तुत किये गए प्रमाणपत्र के अनुसार विनिर्माण अथवा उत्पादन के प्रारंभ की तिथि 25 मार्च 2000 थी। चैंकि उत्पादन नि. व. 2000-01 से सुसंगत पिछले वर्ष में शुरू किया गया था, इसलिए कटौती केवल नि. व. 2009-10 तक अनुज्ञेय थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.32 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

घ. प्रभार: सीआईटी-1 कोच्ची

निर्धारिती: केरल बुक्स पब्लिकेशन सोसायटी

निर्धारण वर्ष: 2008-09

सनदी लेखाकार: उपलब्ध नहीं क्योंकि फार्म 10 बी प्रस्तुत नहीं किया गया था धारा 12ए(बी) के अन्तर्गत फार्म 10बी में रिपोर्ट प्राप्त किये बिना अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत ₹ 4.88 करोड़ की छूट अनुमत की गई थी। इस मामले में शामिल राजस्व ₹ 1.66 करोड़ तक निकाला गया था।

सीए द्वारा गलत सूचना/दावों के प्रमाणीकरण के कारण अधिक छूट/कटौतियाँ अनुमत हुई।

2.7 दावों का गलत प्रमाणीकरण

अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विभिन्न छूटों तथा कटौतियों का दावा करने के लिए एक निर्धारिती को एक सीए द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों/लेखापरीक्षा रिपोर्टों को प्रस्तुत करना आवश्यक है। हमने देखा कि सीए ने ₹ 259.72 करोड़ के कर प्रभाव वले 74 मामलों में गलत सूचना/दावों को प्रमाणित किया (बॉक्स 2.5 देखें)।

बॉक्स 2.5: दावों के गलत प्रमाणीकरण पर निर्दर्शी मामले

क. प्रभार: सीआईटी 2, ठाणे

निर्धारिती : गुरुकृपा डेवलपर्स

निर्धारण वर्ष: 2009-10

सनदी लेखाकार: कुकरेजा-दियालानी एण्ड कं.

(फर्म पंजीकरण सं. 126893 डब्ल्यू)

धारा 80आईबी(10) में कुछ शर्तों के अध्यधीन लाभ के 100 प्रतिशत की कटौती के लिए प्रावधान किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी शामिल है कि हाउसिंग परियोजनाओं में वाणिज्यिक परिसर पॉच प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। सीए ने फार्म 10सीसीबी में जारी की गई अपनी रिपोर्ट में प्रमाणित किया कि हाउसिंग परियोजना में रिहायशी परिसर 72,700 वर्ग फुट है तथा दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक परिसर 90,000 वर्ग फुट हैं। सीए ने प्रमाणित किया कि निर्धारिती ने धारा 80आईबी(10) में अनुबद्ध शर्तों को पूरा किया है जबकि उसके प्रमाणपत्र में उसके द्वारा दिये गए व्यौरें दर्शाते हैं कि निर्धारिती कटौती के लिए हकदार नहीं था क्योंकि वाणिज्यिक क्षेत्र पॉच प्रतिशत से अधिक था। इस गलत प्रमाणीकरण के कारण निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान निर्धारिती द्वारा ₹ 87.10 लाख की अनियमित कटौती का दावा किया गया उसके परिणामस्वरूप ₹ 26.13 लाख तक की सीमा तक कर का कम उद्घाटन हुआ।

ख. प्रभार: सीआईटी 8, मुम्बई

निर्धारिती: टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2010-11

सनदी लेखाकार: मनीष हिंगरा (सदस्य सं. 109060)

निर्धारिती ने सात औद्योगिक उपक्रमों के लाभ पर सीए द्वारा जारी किये गए 10सीसीबी प्रमाणपत्र के आधार पर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए धारा 80आईबी के अन्तर्गत ₹ 37.32 करोड़ की कटौती का दावा किया। सीए ने प्रमाणित किया कि उपक्रम अथवा उद्यम धारा 80आईबी में निर्धारित शर्तों को संतुष्ट करता है। धारा 80आईबी(4) में एक शर्त यह थी कि इकाई को मार्च 2004 के बाद विनिर्माण प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तथापि यह देखा गया कि छ: इकाई ने मार्च 2004 के बाद विनिर्माण शुरू किया था इसलिए धारा 80आईबी के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र नहीं थीं। यह दर्शाता है कि लेखाकार ने उचित सतर्कता नहीं बरती थी तथा घोषणा पत्र दिया जबकि निर्धारिती ने 80आईबी में अनुबद्ध शर्तों को पूरा नहीं किया था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त सभी 7 मामलों में फार्म 10सीसीबी का खण्ड 18 तथा 19 भरा नहीं गया था। कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 36.60 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ तथा ₹ 12.44 करोड़ के कर का कम उद्घाटन हुआ।

ग. प्रभार: सीआईटी IV, कोलकाता

निर्धारिती : सिम्पलैक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2010-11

सनदी लेखाकार: एच. एस. भट्टाचार्जी एण्ड कं., बिनायक डे द्वारा हस्ताक्षरित

(सदस्य सं. 062177)

निर्धारिती ने धारा 80आईए(4) के अन्तर्गत ₹ 82.66 करोड़ की कटौती का दावा किया जो एक अवसंरचना सुविधा के विकास, परिचालन तथा अनुरक्षण के लिए उपलब्ध था। यह दावा अपेक्षित फार्म 10सीसीबी में सीए द्वारा प्रमाणित था जो प्रमाणित कर रहा था कि निर्धारिती ने धारा में अनुबद्ध शर्तों को पूरा किया है। निर्धारण के दौरान एओ ने देखा कि निर्धारिती ने निर्माण कार्य ठेका आधार पर परियोजना का केवल एक भाग लिया था तथा वह विकासकर्ता के रूप में नहीं था। अतः निर्धारिती व्याख्या के साथ पठित धारा 80आईए(4) के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र नहीं था। तदनुसार निर्धारिती द्वारा दावित धारा 80आईए(4) के अन्तर्गत कटौती को ₹ 28.10 करोड़ के राजस्व के निसरण को परिहार करते हुए अस्वीकृत की गई।

सीए ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट/प्रमाणपत्रों में गलत/अधूरी सूचना दी जिस कारण राजस्व की हानि हुई।

2.8 कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट/प्रमाणपत्र में गलत/अधूरी सूचना

हमने देखा कि सीए ने ₹ 1,037.61 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 132 मामलों में टीएआर/प्रमाणपत्रों में गलत/अधूरी सूचना दी। तथापि एओ ने निर्धारिती अथवा संबंधित सीए के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की (बॉक्स 2.6 देखें)।

बॉक्स 2.6: कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट/प्रमाणपत्र में गलत/अधूरी सूचना पर निर्दर्शी मामले

क. प्रभार: सीआईटी-1, कोच्ची

निर्धारिती: सिन्थाईट इन्डस्ट्रियल केमिकल लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2008-09

सनदी लेखाकार: थाम्पसन थॉमस (सदस्य सं. 25567)

अधिनियम की धारा 40(ए) में निर्धारित है कि यदि कोई ब्याज, रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य अन्य राशियों का भुगतान अध्याय XVII-बी के तहत स्रोत पर कर की कटौती किये बिना किया गया है, तो ऐसी राशियों की कारोबार अथवा व्यवसाय से लाभ एवं आय की संगणना करने में कटौती नहीं की जाएगी। कर लेखापरीक्षक ने टीएआर के खण्ड 27(ए) (क्या निर्धारिती ने अध्याय XVII-बी के प्रावधानों का पालन किया था) के प्रति 'हाँ' प्रमाणित किया जबकि

अनिवासियों को कमीशन, विज्ञापन खर्च इत्यादि (₹ 1.82 करोड़) का भुगतान अधिनियम की धारा 195 के अन्तर्गत स्रोत पर कर की कटौती किये बिना ही किया गया था। अतः इन्हें व्यय के रूप में अनुमत किया गया था।

ख. प्रभार: सीआईटी-1, चेन्नै

निर्धारिती: डेमलर इण्डिया कमर्शियल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2010-11

सनदी लेखाकार: विजय माथुर (सदस्य सं. 46476)

कोई भी व्यय जो धारा 40(ए) के अन्तर्गत कटौती के लिए मान्य नहीं है, सीए द्वारा फार्म 3 सीडी के खण्ड 17(एफ) में दर्शाया जाना है। हमने देखा कि यद्यपि निर्धारिती ने स्वयं ही ₹ 82.81 लाख के कर प्रभाव वाले वेतनों पर कर की गैर-कटौती के प्रति ₹ 2.44 करोड़ की राशि वापस जोड़ी थी। तथापि, इस अस्वीकृति को सीए द्वारा फार्म 3 सीडी में नहीं दर्शाया गया था जैसा कि खण्ड 17(एफ) में अपेक्षित है।

ग. प्रभार: सीआईटी II कोलकाता

निर्धारिती: यूको बैंक

निर्धारण वर्ष: 2008-09 तथा 2010-11

सनदी लेखाकार: i) नि. व. 2008-09 के लिए: एस एन गुह एण्ड कं., एम के दत्ता द्वारा हस्ताक्षरित (सदस्य सं. 12701), कन्सल सिंगला एण्ड एसोसिएट्स, एस के कन्सल द्वारा हस्ताक्षरित (सदस्य सं. 80632), पारेख एण्ड जैन, अनुराग जैन द्वारा हस्ताक्षरित (सदस्य सं. 76362), एस. पी. पूरी एण्ड कं., राजीव पूरी द्वारा हस्ताक्षरित (सदस्य सं. 84318), के. के. एस एण्ड कं., एसएल कोचर द्वारा हस्ताक्षरित (सदस्य सं. 016573) तथा ए. आर. एण्ड कं., अनिल गौड़ द्वारा हस्ताक्षरित (सदस्य सं. 017546)

(ii) नि. व. 2010-11 के लिए: ए आर एण्ड कम्पनी, पवन कुमार गोयल द्वारा हस्ताक्षरित (सदस्य सं. 072209), चटर्जी एण्ड कं., एस चटर्जी द्वारा हस्ताक्षरित (सदस्य सं. 003124), डी आर मोहनोट एण्ड कम्पनी, विपिन कानूनेगा द्वारा हस्ताक्षरित (सदस्य सं. 072716), गोयल गर्ग एण्ड कं., ए. के. अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित (सदस्य सं. 084600), बंसल एण्ड कम्पनी, राजेन्द्र शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित (सदस्य सं. 072424), कोठरी एण्ड कं., मनस्वी कोठरी द्वारा हस्ताक्षरित (सदस्य सं. 64601)

एओ ने अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत 'प्रतिभुतिकरण पर लाभ' के कारण नि. व. 2009-10 तथा नि. व. 2010-11 के लिए क्रमशः ₹ 19.04 करोड़ तथा ₹ 21.93 करोड़ के संवर्धन किये। चूँकि यह राशि लाभ एवं हानि खाते को क्रेडिट नहीं की गई थी, इसलिए एओ ने मुक्त आय अर्जन करने के लिए धारा 14 के अन्तर्गत व्यय के अस्वीकार के प्रति ₹ 1.73 करोड़ तथा ₹ 36.60 करोड़ के संबंधन भी किये। हमने देखा कि सीए संबंधित वर्षों की 3 सीडी रिपोर्ट के खण्ड 13 तथा 17 में इन राशियों को दर्शाने में विफल रहे थे। इन संवर्धनों का राजस्व प्रभाव ₹ 26.96 करोड़ का था।

घ. प्रभार: सीआईटी -I कोलकाता

निर्धारिती: एक्साइड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2008-09 तथा 2009-10

सनदी लेखाकार: एस आर बादलीबॉय एण्ड कं., आर के अग्रवाल द्वारा
हस्ताक्षरित (सदस्य सं. 016667)

कर लेखापरीक्षकों ने धारा 14ए के अन्तर्गत नि. व. 2008-09 के लिए ₹ 1.86 लाख तथा नि. व. 2009-10 के लिए ₹ 2.26 लाख के अस्वीकार्य व्ययों की संगणना की। तथापि एओ ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 8 डी को लागू करते हुए नि. व. 2008-09 तथा नि. व. 2009-10 के लिए क्रमशः ₹ 12.19 करोड़ तथा ₹ 7.06 करोड़ के रूप में इस अस्वीकृति की संगणना की। निर्धारिती की अपील पर नि. व. 2009-10 के लिए अस्वीकृति को ₹ 11.67 करोड़ निर्धारित किया गया। यह दर्शाता है कि कर लेखापरीक्षकों ने उचित रूप से नियमों को लागू किये बिना अस्वीकृत अनुमती की संगणना की थी। इन संवर्धनों ने ₹ 6.35 करोड़ के कर राजस्व के निसरण का परिहार किया।

ड. प्रभार: सीआईटी 8, मुम्बई

निर्धारिती: पी के इन्टरनेशनल एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2010-11

सनदी लेखाकार: डी. एस. सोलंकी (सदस्य सं. 115223)

सीए ने टीएआर के खण्ड 27 में रिपोर्ट किया कि निर्धारिती ने अध्याय XVII के प्रावधानों का पालन किया था अर्थात् निर्धारिती ने टीडीएस की कटौती तथा भुगतान किया था जहाँ लागू होने योग्य था। तथापि निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान निर्धारण अधिकारी ने धारा 40(ए) (आईए) के अन्तर्गत ₹ 6.56 करोड़ अस्वीकार किये क्योंकि निर्धारिती ने व्यय की उपरोक्त राशि पर कटौती किये गए टीडीएस तथा सरकारी कोष को किये गए भुगतान के संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे।

च. प्रभार: सीआईटी 10, मुम्बई

निर्धारिती: क्वेस्ट पोर्टफोलियो सर्विसेज प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2010-11

कर लेखापरीक्षक: राजीव लूथिया (सदस्य सं. 039673)

कर लेखापरीक्षक के लिए एक कर्मचारी को दी गई गई सेवाओं के लिए बोनस अथवा कमीशन के रूप में भुगतान की गई राशि को टीएआर के खण्ड 16(ए) के अन्तर्गत दर्शाना आवश्यक था, जहाँ ऐसी राशि उसे अन्यथा लाभ अथवा लाभाशं के रूप में भुगतान योग्य थी। कम्पनी के ₹ 11.17 करोड़ के लाभ में से निर्धारिती कम्पनी के निदेशक को ₹ 10.00 करोड़ के बोनस का भुगतान किया गया था। निदेशक के पास कम्पनी के 91 प्रतिशत शेयर थे तथा बोनस कम्पनी में उसकी सहभागिता के प्रतिशत के अनुरूप

दिया गया था। यह लाभाशं वितरण कर के भुगतान का परिहार करने के लिए किया गया था जो अन्यथा भुगतान योग्य होता यदि राशि लाभाशं के रूप में भुगतान की जाती। कर लेखा परीक्षक इस राशि को प्रकट करने में विफल रहा था। एओ ने इस राशि को अनुचित तथा अधिक होने के नाते धारा 40ए(2)(बी) के तहत अस्वीकार कर दिया था।

2.9 प्रावधानों की अनियमित अनुमति

अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रोटभूत अथवा ज्ञात देयता के लिए खाते में बनाया गया प्रावधान एक स्वीकार्य कटौती है जबकि अन्य प्रावधान कटौती के लिए योग्य नहीं हैं। इससे संबंधित विवरण फार्म 3सीडी के खण्ड 17(के) में प्रकट किये जाने अपेक्षित हैं।

हमने देखा कि कर लेखापरीक्षक सात मामलों में इस सूचना को बताने में विफल हुए थे जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 22.31 करोड़ की कर प्रभाव वाली ₹ 65.66 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। (बॉक्स 2.7 देखें)।

बॉक्स 2.7: प्रावधानों की अनियमित अनुमति पर निर्दर्शी मामले

प्रभार: सीआईटी 6, मुम्बई

निर्धारिती: मजगाँव डॉक्स लि.

निर्धारण वर्ष: 2008-09

**सनदी लेखाकार: जी. पी. कपाड़िया एण्ड कं., भागीदार निमेश भिमानी द्वारा
हस्ताक्षरित (सदस्य सं. 30547)**

सीए पश्च: सेवानियुत योजना के भुगतान के लिए ₹ 5.70 करोड़ के प्रावधान को रिपोर्ट करने में विफल रहा जो विवरणी को दखिल करने से पहले अदा नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप यह प्रावधान अस्वीकृति नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.70 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ तथा ₹ 1.94 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखाकार ने 'बुक प्राफिट' की संगणना नहीं की तथा धारा 115जेबी के अन्तर्गत फार्म 29बी प्रस्तुत नहीं किया जिसके कारण करों का कम उद्ग्रहण हुआ।

2.10 धारा 115जेबी के अन्तर्गत बुक प्राफिट पर कर प्रभारित करना

अधिनियम की धारा 115जेबी में 'बुक प्राफिट' के निर्धारित प्रतिशत पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान किया गया है यदि सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कुल आय पर भुगतान योग्य कर कतिपय संवर्धनों तथा अपमार्जन के पश्चात निकाले गए 'बुक प्राफिट' की ऐसी प्रतिशतता से कम हो।

प्रत्येक कम्पनी जिस पर धारा 115जेबी के प्रावधान लागू होते हैं, के लिए आय विवरणी के साथ लेखाकार से यह प्रमाणित करते हुए 29बी में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है कि बुक प्राफिट की इस धारा के प्रावधानों के अनुसार संगणना की गई है। विवरणी की ई-फाइलिंग की शुरूआत के साथ, आईटीआर के साथ फार्म 29बी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। तथापि, यह संवीक्षा निर्धारण के समय पर एओ को प्रस्तुत किया जाना है।

हमने देखा कि 66 कम्पनी निर्धारितियों ने फार्म 29बी में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। हमने यह भी देखा कि लेखाकार 27 मामलों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 'बुक प्राफिट' की संगणना करने में विफल रहे (बॉक्स 2.8 देखें)।

बॉक्स 2.8: धारा 115 जेबी के अन्तर्गत 'बुक प्राफिट' पर कर के प्रभारित करने के निर्दर्शी मामले

क. प्रभार: सीआईटी-1 कोच्ची

निर्धारिती: पेरी एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2009-10

सनदी लेखाकर: एम के अन्नत नारायण (सदस्य सं. 19521)

निर्धारिती ने फार्म 29बी में सीए से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इस मामले में कर ₹ 8.63 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 7.73 करोड़ के 'बुक प्राफिट' पर धारा 115जेबी के अन्तर्गत उद्ग्रहीत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.50 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

घ. प्रभार:सीआईटी सेन्ट्रल 2, मुम्बई

निर्धारिती: ज्योति ब्राइट बार्स लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2008-09

**सनदी लेखाकार: भूटा शाह एंड कं., शैलेश पी भूटा भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित
(सदस्य सं. 33958)**

निर्धारिती ने सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 1.15 करोड़ और 115जेबी के अन्तर्गत ₹ 1.14 करोड़ के लाभ की गणना की तथा सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत यह मानते हुए कर का भुगतान किया कि सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कर अधिक था। एओ द्वारा धारा 115जेबी के अन्तर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई और रिकार्ड पर नहीं रखी गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने धारा 115जेबी के प्रावधानों के अन्तर्गत कर के भुगतान से बचने के लिए शेयरों की बिक्री से ₹ 7.46 करोड़ का पूंजीगत लाभ लेखा मानक 10 में यथाअपेक्षित लाभ और हानि लेखों के बजाय सीधे आरक्षित पूंजी में जमा कर दिया था (धारा 10(38) के प्रावधानों के अन्तर्गत छूट प्राप्त किन्तु मैट के प्रावधानों के अन्तर्गत करयोग्य)। 'बुक प्राफिट' की गलत संगणना के परिणामस्वरूप ₹ 77.56 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

ग. प्रभार: सीआईटी II, आगरा

निर्धारिती: श्री राधे गेविंद आइस एंड कोल्ड स्टोरेज (प्रा.) लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2010-11

सनदी लेखाकार: डाली मितल (सदस्य सं. 410931)

निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 115जेबी के अन्तर्गत फार्म 29 बी प्रस्तुत नहीं किया था। निर्धारण अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 10(38) के अन्तर्गत दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) की ₹ 11.36 करोड़ की छूट अनुमत करने के बाद ₹ 10.03 लाख का कर अवधारित करने के बाद किया गया था। तथापि, हमने पाया कि एलटीसीजी के माध्यम से आय को यद्यपि अधिनियम की धारा 10(38) के अन्तर्गत छूट प्राप्त है, फिर भी धारा 115जेबी के अन्तर्गत कर के अवधारण के लिए विचार किया जाना चाहिए था। तदनुसार, धारा 115जेबी के अन्तर्गत ₹ 2.74 करोड़ का कर बनता है जो उद्ग्रहीत ₹ 10.03 लाख के कर से अधिक है। एओ भी धारा 115जेबी के प्रावधानों को प्रयोग करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.64 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

सनदी लेखाकारों ने आर्मस लैंगथ मूल्य पर फार्म 3सीईबी में गलत/अधूरी सूचना प्रस्तुत की।

2.11 आर्मस लैंगथ मूल्य (एएलपी) को अपनाना

अधिनियम की धारा 92(1) में प्रावधान है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन से होने वाली किसी आय की आर्मस लैंगथ मूल्य (एएलपी) के संबंध में संगणना की जाएगी। एएलपी की संगणना धारा 92सी के अनुसार की जानी है। नियम 10ई के साथ पठित धारा 92ई पिछले वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय लेन देने करने वाले व्यक्ति द्वारा सीए से फार्म 3सीईबी में एक रिपोर्ट प्राप्त करने और इसे निर्दिष्ट तिथि पर या उससे पूर्व निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करना निर्धारित करती है। ₹ पाँच करोड़ से अधिक के निर्दिष्ट घरेलू लेन देन के मामले में, जैसा कि अधिनियम की धारा 92बीए में परिभाषित है, ऐसे मामलों को एओ द्वारा ट्रांसफर प्राइसिंग अधिकारी (टीपीओ) को संदर्भित किया जाना होता है। फार्म 3सीईबी में सीए को निर्धारिती द्वारा यथासंगणित आर्मस लैंगथ मूल्य को सत्यापित करना होता है।

हमारी लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारितीयों ने 43 मामलों में अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। हमने यह भी पाया कि 153 मामलों में रिपोर्ट में सीए ने गलत/अधूरी सूचना दी थी (बॉक्स 2.9 देखें)

बॉक्स 2.9: आर्मस लैंगथ मूल्य (एएलपी) को न अपनाने वाले निर्दर्शी मामले

क. प्रभार: सीआईटी v, चेन्नई

निर्धारिती : पोलारिस सॉफ्टवेयर लैब लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2009-10

सनदी लेखाकार: एस विश्वा (सदस्य सं. 20572)

संदर्भित करने पर ट्रांसफर प्राइसिंग अधिकारी (टीपीओ) ने निर्धारिती कम्पनी द्वारा अपने संबंधित उद्यम के साथ किए गए लेनदेन का उद्धर्मुख समायोजन ₹ 73.87 करोड़ के मूल्य पर किया था जिसमें ₹ 25.01 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। तथापि, सीए जिसने फार्म 3सीईबी को प्रमाणित किया था, इस लेन देन पर विचार करने में विफल रहा।

घ.

प्रभार: सीआईटी 4 कोलकाता**निर्धारिती : एक्जो नोबल इंडिया लिमिटेड (पूर्व में आईसीआई इंडिया लिमिटेड)****निर्धारण वर्ष: 2008-09****सनदी लेखाकार: बीएसआर एवं एसोसिएट्स, कौशल किशोर द्वारा हस्ताक्षरित
(सदस्य सं. 090075)**

निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए फार्म 3सीईबी के अनुसार एक अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन की एएलपी ₹ 18.45 करोड़ थी। मामला ट्रांसफर प्राइसिंग अधिकारी को संदर्भित किया गया था जिसने लेन देन की एएलपी का शून्य के रूप में अवधारण किया था। इसलिए, ₹ 18.45 करोड़ की आय का उर्ध्वमुखी समायोजन हुआ जिसमें ₹ 6.27 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

ग. प्रभार: सीआईटी-8, मुम्बई**निर्धारिती : सीटेल इंडिया लिमिटेड****निर्धारण वर्ष: 2009-10****सनदी लेखाकार: गौरव गुप्ता एंड एसोसिएट्स (सदस्य सं. 077992)**

सीए द्वारा फार्म 3सीईबी रिपोर्ट में प्रमाणित किए गए ₹ 170.67 करोड़ की एएलपी में टीपीए ने ₹ 25.45 करोड़ के उर्ध्वमुखी समायोजन की सिफारिश की थी। टीपीओ ने यह मानते हुए इस समायोजन की सिफारिश की कि (i) लेन देनों को प्रमाणित करने के लिए सीए द्वारा जिस ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी रिपोर्ट (टीपीएसआर) पर विश्वास किया गया था वह खण्डीय लेखा पर आधारित थी जिसे न तो सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया था और न ही उस लेखापरीक्षक द्वारा जिसने 3 सीडी रिपोर्ट प्रमाणित किया है या उस लेखापरीक्षक द्वारा जिसने 3सीईबी फार्म प्रमाणित किया है, (ii) खण्डीय लेखे लेखापरीक्षित लाभ और हानि लेखों के साथ मेल नहीं खाते, (iii) लेखे दो कारोबार खण्डों अर्थात् संबंधित उद्यम (एई) भाग और गैर एई भाग के लिए तैयार किए गए थे जो क्रमशः 21.14 प्रतिशत और (-) 10.06 प्रतिशत का परिचालन लाभ मार्जिन दर्शाते थे। यह केवल एई भाग में लाभ का उच्च मार्जिन और गैर एई भाग में हानि दर्शाने के लिए किया गया था। टीपीओ द्वारा टीपीएसआर में उपयोग किए गए छ: तुलनीय, जिसमें से तीन तुलनीय को टीपीए ने अस्वीकृत कर दिया, के प्रति 24 तुलनीय के आधार पर परिचालन मार्जिन को निर्धारिती द्वारा घोषित 14.18 प्रतिशत के प्रति 33.56 प्रतिशत पर संशोधित किया गया था।

घ. प्रभार : सीआईटी 3, मुम्बई

निर्धारिती: केकेआर इंडिया लि.

निर्धारण वर्ष: 2010-11

सनदी लेखाकार: मिहिर शाह एण्ड एसोसिएट्स (सदस्य सं. 41919)

टीपीओ ने फार्म 3सीईबी में सीए द्वारा प्रमाणित किए गए ₹ 43.22 करोड़ की एएलपी में ₹ 10.71 करोड़ के परिवर्धन का सुझाव दिया था। टीपीओ ने पाया कि (i) निर्धारिती को निवेश परामर्शी सेवाएं देने के लिए लागत जमा 10 प्रतिशत पर संबंधित उद्यमों द्वारा क्षतिपूर्ति की गई थी (ii) निर्धारिती द्वारा उपयोग किए सभी तुलनीय का विभिन्न भौगोलिक स्थानों से परिचालन किया जा रहा था और एक भी भारतीय तुलनीय का प्रयोग नहीं किया गया था। टीपीओ ने भारत में परिचालित छ: तुलनीय के साथ बैचमार्किंग के बाद ₹ 10.71 करोड़ के परिवर्धन का सुझाव दिया।

सनदी लेखाकारों ने प्रति दिन ₹ 20,000 से आधिक्य राशि के लिए रेखांकित चैक/बैंक नोट के माध्यम से किए गए भुगतानों के सत्यापन के बारे में इंगित नहीं किया।

2.12 ₹ 20,000 प्रति दिन के आधिक्य में नकद भुगतान पर फार्म 3सीडी में सीए द्वारा रिपोर्टिंग

अधिनियम की धारा 40ए(3) के अनुसार, जहाँ निर्धारिती एक दिन में एक व्यक्ति को ₹ 20,000 से अधिक का एक भुगतान या कुल भुगतानों का अदाता खाता चेक या अदाता खाता बैंक ड्राफ्ट के अन्यथा कोई व्यय करता है, वहाँ कोई कटौती अनुमत नहीं होगी। ऐसी अस्वीकृति को कर लेखापरीक्षक द्वारा फार्म 3सीडी में अपनी रिपोर्ट के खण्ड 17(एच) में रिपोर्ट करना अपेक्षित है।

आईसीएआई द्वारा धारा 44एबी पर मार्गदर्शन नोट (2005 संस्करण) में बताया गया है कि ‘रेखांकित चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किए गए भुगतानों के सत्यापन में व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं। यदि रेखांकित चेक या ड्राफ्ट द्वारा भुगतान के सत्यापन के लिए कोई उचित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा तथ्य निम्नलिखित तरीके से उचित टिप्पणियों द्वारा सामने लाया जा सकता है।’’ इस प्रकार, उस मामले में जहाँ सत्यापन असंभव है वहाँ सीए को ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है “मेरे/हमारे लिए यह सत्यापित करना संभव नहीं है कि क्या ₹ 20,000 से अधिक का भुगतान रेखांकित चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा या अन्यथा किया गया था, क्योंकि आवश्यक साक्ष्य निर्धारिती के पास उपलब्ध नहीं है”।

हमने 308 मामले पाए जहाँ कर लेखापरीक्षक धारा 40ए(3) के अन्तर्गत अस्वीकृति बताने में विफल रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए एक मामले में कर लेखापरीक्षक ने नकद भुगतान के सत्यापन पर उचित रिपोर्ट नहीं की इसके बजाय उसने एक तदर्थ अननुमति प्रस्तावित की। नि. व. 2009-10 में सीआईटी III बैंगलुरु के अन्तर्गत श्रीलक्ष्मी इण्डस्ट्रीयल फोर्ज एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के मामले में कर लेखापरीक्षक आर अशोक कुमार (सदस्य सं. 18446) ने फार्म 3सीडी के खण्ड 17(एफ) (धारा 40(ए) के अन्तर्गत अस्वीकार्य राशि) में बताया “हमने व्यापक रूप से उन भुगतानों का सत्यापन किया है जिन पर स्रोत पर कर कटौती की जानी थी। जबकि निर्धारिती ने अधिकतर कानून का अनुपालन किया है, किन्तु लेन देनों की अधिक मात्रा के कारण, हम इस बात की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हैं कि जहां कहीं भी आवश्यक हैं कर की कटौती की गई है। इस लिए, हम ₹ 5,00,000 की तदर्थ अननुमति की सिफारिश करते हैं।” यह दर्शाता है कि कर लेखापरीक्षक ने कर लेखापरीक्षा उचित रूप से नहीं की और इसे उचित रूप से धारा 44एबी के अन्तर्गत यथा अपेक्षित तरीके से रिपोर्ट नहीं किया।

निर्धारण अधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 142(2ए) के अन्तर्गत नामित सनदी लेखाकारों द्वारा विशेष लेखापरीक्षा हेतु निर्देश जारी करना मूल सनदी लेखाकारों के निष्पादन पर प्रश्न उठाता है।

2.13 धारा 142(2ए) के अन्तर्गत विशेष लेखापरीक्षा

अधिनियम की धारा 142(2ए) के अनुसार संवीक्षा निर्धारण के दौरान एओ लेखों की प्रवृत्ति एवं जटिलता और राजस्व के हितों पर विचार करते हुए यदि जरूरी समझे तो आईटीडी द्वारा इस कार्य के लिए नामांकित सीए द्वारा लेखापरीक्षित लेखों की पुनः लेखापरीक्षा के लिए निर्धारिती को निर्देश दे सकता है। धारा 142(2ए) के अन्तर्गत विशेष लेखापरीक्षा का आदेश दर्शाता है कि एओ निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं। हमने पाया कि एओ ने धारा 142(2ए) के अन्तर्गत विशेष लेखापरीक्षा के लिए 78 मामलों में निर्देश जारी किए थे। विशेष लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, 16 निर्धारितियों की आय में ₹ 197.79 करोड़ की वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि मूल लेखापरीक्षक ने अपना कार्य उचित तरीके से निष्पादित नहीं किया।

खण्ड ख

मामले जहां एओ रिपोर्ट/प्रमाणपत्रों में उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करने में विफल रहे।

सीबीडीटी ने 1999 में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारण कार्यवाहियों में अर्थपूर्ण परिवर्धन करने के लिए सूचनाओं के उपयोग हेतु अनुदेश जारी किए थे। लोक लेखा समिति ने भी लेखाकार की रिपोर्ट पर अपर्याप्त ध्यान दिए जाने पर चिन्ता व्यक्त की थी। इसके बावजूद निर्धारण अधिकारियों ने लेखाकार की रिपोर्टों में उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग नहीं किया जिसके कारण करों का कम उद्ग्रहण हुआ।

2.14 लेखाकारों की रिपोर्ट में उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग न करना

लेखाकारों को 3 सीडी रिपोर्टों में विभिन्न सूचनाओं पर विवरण देना अपेक्षित है। सीबीडीटी के 09/2008 के अनुदेश में अपेक्षित है कि कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट और साथ ही साथ अन्य सांविधिक रिपोर्टों की संबंधित रिकार्डों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के साथ विवेचनात्मक रूप से जाँच की जानी चाहिए और इन रिपोर्टों में यथा उपलब्ध सूचनाओं का संवीक्षा निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय प्रभावी रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। हमने ₹ 1,310.05 करोड़ के कर प्रभाव वाले 102 मामले पाए जहां एओ 3 सीडी रिपोर्टों में उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करने में विफल रहे (बॉक्स 2.10 देखें)

बॉक्स 2.10 लेखाकारों की रिपोर्ट में उपलब्ध सूचनाओं के उपयोग न करने के निर्दर्शी मामले

क. प्रभार: सीआईटी-एलटीयू दिल्ली

निर्धारिती: महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2011-12

सनदी लेखाकार: रवीन्द्र खुल्लर (सदस्य सं. 82928) एवं अजय रस्तोगी (सदस्य सं. 84897)

कर लेखापरीक्षक ने अपनी कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारिती के कर्मचारियों को प्रदत्त उपदान की राशि का पूर्व विद्यमान देयता के प्रति ₹ 38.10 करोड़ के रूप में उल्लेख किया था। तथापि, निर्धारिती ने उपदान के प्रति ₹ 107.08 करोड़ का दावा किया था जोकि एओ द्वारा अनुमत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 68.98 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ जिसका संभावित कर प्रभाव ₹ 23.45 करोड़ था।

घ. प्रभार: सीआईटी-VI दिल्ली**निर्धारिती: थॉमसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड****निर्धारण वर्ष: 2010-11****सनदी लेखाकार: एस मुखर्जी (सदस्य सं. 57084)**

3 सीडी रिपोर्ट के अनुसार, अधिनियम के अनुसार निर्धारिती को अनुज्ञेय कुल मूल्यहास ₹ 22.04 करोड़ था। तथापि, एओ ने निर्धारिती द्वारा फाइल की गई आय कर विवरणी के अधार पर ₹ 46.89 करोड़ अनुमत किया। इस प्रकार, कर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बावजूद एओ द्वारा ₹ 24.85 करोड़ का अधिक मूल्यहास अनुमत किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.67 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाली आय का कम निर्धारण हुआ।

ग. प्रभार: सीआईटी 2 लखनऊ**निर्धारिती: मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड****निर्धारण वर्ष: 2011-12****सनदी लेखाकार: एम. के. गुप्ता (सदस्य सं. 075475)**

सीए ने अपनी टीएआर में रुरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदत्त व्याज के लिए धारा 43 बी के अन्तर्गत ₹ 20.15 करोड़ का व्यय अस्वीकृत किया। हमने पाया कि निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय एओ उक्त सूचना का उपयोग करने में विफल रहा और टीएआर की अवहेलना करते हुए व्यय अनुमत किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.23 करोड़ के संभावित कर के कम प्रभाव वाली ₹ 20.15 करोड़ की कारोबार आय की कम संगणना हुई।

घ. प्रभार: सीआईटी 1, कोच्ची**निर्धारिती: लिसी मेडिकल संस्थान****निर्धारण वर्ष: 2008-09 और 2009-10****सनदी लेखाकार: पॉल टी ममपिल्लै (सदस्य सं. 10496)**

यद्यपि सीए ने फार्म 10 बी में प्रमणित किया था कि नि. व. 2008-09 और नि. व. 2009-10 में अधिनियम की धारा 11(2) के अन्तर्गत ₹ 5.19 करोड़ और ₹ 3.17 करोड़ की अलग रखी गई आय को अधिनियम की धारा 11(2) (बी) में निर्धारित तरीके से जमा नहीं किया गया था। फिर भी, इस राशि को कर के अन्तर्गत नहीं लाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.71 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

ड. प्रभार: सीआईटी बरेली

निर्धारिती: किसान सहकारी चीनी मिल्स, सेमीखेरा

निर्धारण वर्ष: 2010-11

कर लेखापरीक्षक: कृष्ण कुमार अग्रवाल (सदस्य सं. 071030)

निर्धारण अधिकारी ने टीएआर में कर लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए ₹ 28.63 करोड़ के बजाय नि. व. 2006-07 और 2007-08 के लिए ₹ 36.67 करोड़ की अग्रेनीत हानियों को अनुमत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.04 करोड़ हानि अधिक अनुमत हुई जिसका कर प्रभाव ₹ 2.48 करोड़ था (संभावित)।

2.15 निष्कर्ष

इस अध्याय में हमने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत सीए द्वारा कर लेखापरीक्षा और प्रमाणीकरण वाले मामलों को उजागर करने की कोशिश की है। सीए ने 367 मामलों में गलत/अधूरी सूचना दी थी जिसका कर प्रभाव ₹ 2,813.11 करोड़ था (तालिका 2.1 और 2.2 में सार)। ये अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में भी विफल रहे (तालिका 2.3 में सार)। इसके परिणामस्वरूप सरकार को उचित देय प्राप्त नहीं होते हैं। एओ 102 मामलों में लेखाकारों की रिपोर्टें/प्रमाणपत्रों में उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करने में भी विफल रहे जिसका कर प्रभाव ₹ 1,310.05 करोड़ था। सीबीडीटी ने अपने 1999 और 2008 के अनुदेशों में एओ द्वारा निर्धारण के समय पर लेखाकार की रिपोर्टें/प्रमाणपत्रों में उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करने पर जोर डाला है। पीएसी ने भी पाया कि इस पहलू पर अपर्याप्त ध्यान देने के कारण धारा 44एबी प्रारंभ करने का उद्देश्य विफल हो गया। इसके दृष्टिगत, आईटीडी और आईसीएआई द्वारा सीए द्वारा किए गए कार्य के मॉनीटरिंग पहलू की उपयुक्ता को देखना अनिवार्य है। हमने इस प्रतिवेदन के अध्याय III में प्रणाली और मॉनीटरिंग पहलू और उन पर अपनी सिफारिशों के साथ टिप्पणी की है।

2.16 सिफारिशें

हम सिफारिश करते हैं कि

- क. मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि यदि निर्धारिती आवश्यक प्रमाणपत्र/रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते हैं तो एओ छूटें/कटौतियां अनुमत नहीं करें।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि अधिनियम की धारा 10ए, 10(23सी), 80आइए, 80आईबी आदि में पर्याप्त प्रावधान हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट आयकर विभाग के पास उपलब्ध हो। यह प्रावधान स्वयं सुनिश्चित करते हैं कि निर्धारित लेखापरीक्षा रिपोर्टों को फाइल करने की विफलता के मामले में इस प्रकार दावा की गई छूटें/कटौतियां की अनुमति नहीं दी जाये। मंत्रालय ने यह भी उत्तर दिया कि सीबीडीटी की अनुदेश संख्या 9/2008 भी यह दोहराती है कि कर लेखा परीक्षा रिपोर्टों के साथ-साथ दूसरी सांवधिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों को मामलों की संवीक्षा करते समय सम्बन्धित अभिलेखों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के साथ विवेचनात्मक रूप से जांच की जानी चाहिए। मंत्रालय ने यह भी उत्तर दिया कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत छूटें/कटौतियों का दावा करने वाले निर्धारिती द्वारा लेखापरीक्षा की निर्धारित रिपोर्ट इलैक्ट्रोनिक रूप से फाइल किये जाने को आवश्यक करने के लिए आईटी नियम, 1962 के नियम 12 के परन्तुक को 01 अप्रैल 2013 से पूर्वलक्षी प्रभाव के साथ बदल दिया गया है।

लेखापरीक्षा का मत है कि यद्यपि अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध है, तथापि एओ ने निर्धारण के दौरान इनका सावधानी से पालन नहीं किया जिस पर मंत्रालय द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

ख. मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि एओ सीए की रिपोर्टें/प्रमाणपत्रों में उपलब्ध जानकारी का पूर्ण रूप से उपयोग करें।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि समीक्षा निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय लेखापरीक्षा रिपोर्टें और अन्य दूसरी सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें और इन रिपोर्टें में उपलब्ध जानकारी का प्रभावी रूप से उपयोग करने लिए, विवेचनात्मक रूप से जाँच करने के लिए आवश्यक अनुदेश 2008 में जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि लेखापरीक्षा रिपोर्टें की ई-फाइलिंग को नि. व. 2013-14 से प्रारम्भ किया गया गया है। ई-फाइल की गई लेखापरीक्षा रिपोर्टें में प्रस्तुत जानकारी का सीएएसएस के अन्तर्गत संवीक्षा के लिए मामले चयन करने में उपयोग किया गया था। मामले के चयन हेतु कारण को उपलब्ध जानकारी के प्रभावी उपयोग के लिए एओ को भी बताया गया था।